



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-24092026-276336
CG-MH-E-24092026-276336

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4842]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 10, 2026/भाद्र 19, 1948

No. 4842]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 10, 2026/BHADRA 19, 1948

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 7 सितम्बर, 2026

रेलवे अधिनियम 1989 (24 of 1989) की धारा 20A के तहत

का.आ. 5032(अ).— केन्द्रीय सरकार, ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'ए' के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात की लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, महाराष्ट्र राज्य के नागपूर जिला में "वर्धा(सेवाग्राम) – नागपुर चौथी रेलवे लाइन" की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय कि घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन कि तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20 घ कि उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् उप-विभागीय अधिकारी, नागपुर (ग्रामीण), नागपुर, महाराष्ट्र को लिखित में किया जाएगा और उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि

व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे आक्षेपों कि सुनवाई करने तथा ऐसी जांच करने के पश्चात यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य व्यौरे उपलब्ध है और हितवद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

परिशिष्ट (अ)

रेल्वे अधिनियम 1989 (24 of 1989) अनुसार "वर्धा(सेवाग्राम) – नागपुर चौथी रेल्वे लाइन"

अं. क्र.	भूसंपादन प्रकरण क्रमांक	गावाचे नाव	तालुका	भूधारकाचे नाव	सर्व्हे क्र.	भूधारण पद्धती	७/१२ प्रमाण एकूण क्षेत्र (हे.आर.)	संपादन करावयाचे क्षेत्र (हे.आर.)
1	11/अ-65/2025-26	बोरखेडी	नागपूर (ग.)	अशोक विठोबा काले	196/1	1	1.18	0.1093
2				रोहित सत्यनारायण जेजानी	196/2	1	0.81	
3				हर्षल सुरेश कुलकर्णी राशिका निरज धवसे पद्मा सुरेश कुलकर्णी	197	1	1.96	0.6290
4				भारत फार्म प्लॉटेशन तर्फे लोकचंद सावलदास देवानी दिनशा फ्रामरोझा बापुना, किशोर कुमार आशूलाल देवांनी, आस्पी दिनशा बापुना	198/1	1	3.26	0.0113
कुल							7.21 (हे.आर.)	0.7496 (हे.आर.)

[फा. सं. G197/WR-NGP 4th Line/Borkhedi Vlg/20A]

भुवनेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**(Central Railway)****NOTIFICATION**

Mumbai, the 7th September, 2026

Under clause 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989)

S.O. 5032(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in schedule annexed hereto, is required for purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely **“Wardha(Sewagram) - Nagpur 4th Railway line”** in the **district of Nagpur** in the State of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, **Sub Divisional Officer Nagpur (Rural), Nagpur**, Maharashtra in writing and shall set out the grounds thereof, and the Competent Authority shall give the objector the opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE**Annexure A****“Wardha(Sewagram) - Nagpur 4th Railway line” as per section 20 (A) of the Railways Act 1989**

Sr. No.	Land Acquisition Chapter No.	Village Name	Taluka	Land Owner Name	Survey No.	Class	Total Area As per 7/12 (Ha.)	As per Acquired Area (Ha.)
1	11/A-65/2025-26	Borkhedi	Nagpur (Rural)	Ashok Vithoba Kale	196/1	1	1.18	0.1093
2				Rohit Satyanarayan Jejani	196/2	1	0.81	
3				Harshal Suresh Kulkarni, Rashika Niraj Dhavse. Padma Suresh Kulkarni	197	1	1.96	0.6290
4				Bharat form Plantation through Lokchand Sawaldas Devani, Dinsha Framroza Bapuna Kishor Kumar Ashulal Devani, Ashpi Dinsha Bapuna	198/1	1	3.26	0.0113
Total							7.21 (Ha.)	0.7496 (Ha.)

[F. No. G197/WR-NGP 4th Line/Borkhedi Vlg/20A]

BHUVNESH KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer (Construction)